

१५/१२/२०

अभिलेख उपर~~लिखित~~। अभिलेख का अवलाकन किया। अवलाकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान बाँडे की वैधनिक अवधि एक वर्ष वात चुकी ह। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित ~~श्री~~ प्रभारी से शांति भंग होने संबधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान बाँडे समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

१५/१२/२०२०
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गाड्डा।

१५/१२/२०२०
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गाड्डा।